


संकेत है। लिखा जाके आदेश दिनांक 27/09/22
को है।

27/9/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तबा
सेकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 13/10/22 को पेश हो।

13/10/22

पत्रावली पेश हुई। पार्थी वकील उपर।
उक्त आदेश न्यायालय में चलने योग्य नहीं
होने की वजह से खरीज की जाती है।
पत्रावली फ़ैल भुगत होकर  कोल दस्ता
है। ज़रूरी से कर है।

Blue